न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **प्रभा गौतम,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 17/2018 (रा.प्रा.पत्र)
पंजीयन दिनांक 02.07.2018
G.C.M.S. NO. :- 2018/00100

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

श्री काशीगिरी पिता भगवानगिरी गुसाई निवासी पिनोदड़ा, तहसील बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 17(क) राजस्थान उप निवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना में सरकारी भूमि का आवंटन) नियम, 1968 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी एवं भूआवंटन सलाहकार कमेटी, बडीसादडी बमिसल क्रमांक 263/92 आवंटन दिनांक 02.06.1998

उपस्थितिः–1– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 20.12.2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार, बडीसादडी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम, 1970 के तहत विरूद्ध विपक्षी के पेश कर निवेदन

Web Copy - Not Official

किया कि मौजा पिनोदड़ा की आराजी नम्बर 336 रकबा 0.31 हैक्टेयर भूमि विपक्षी श्री काशीगिरी पिता भगवानगिरी के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि के साबिक आराजी नम्बर 172/1 रकबा 14 बीघा 09 बिस्वा है जिसमें से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ उपखण्ड अधिकारी, बडीसादडी द्वारा जरिये मिसल नम्बर 263/92 से दिनांक 02.06.1998 को आवंटित की जो जरिये नामान्तरण संख्या 194 दिनांक 02.12.2000 से विपक्षी के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज की गई। उक्त गैर खातेदारी हक से आवंटित भूमि पर आवंटन के पश्चात् से अब तक विपक्षी का कब्जा नहीं है व न ही मौके पर काश्त हो रही है तथा उक्त आराजीयात पर अन्य व्यक्ति का कब्जा होकर काश्त की जा रही है। विपक्षी ने आवंटन नियमों की पालना नहीं की है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को किया गया आवंटन निरस्त फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया गया। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्री शंकर पुरी गोस्वामी ने अधिकार पत्र पेश किया उसके पश्चात् विपक्षी तथा उसके अधिवक्ता के बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से विपक्षी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। संबंधित भू आवंटन पत्रावली तलब की गई। तलबीदा पत्रावली प्राप्त होने पर बहस प्रकरण राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि विपक्षी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की है तथा आवंटित भूमि पर कभी भी विपक्षी का कब्जा नहीं रहा एवं मौके पर वर्तमान मे भी उक्त भूमि पर विपक्षी का कब्जा नहीं होकर अन्य व्यक्ति के कब्जे में होकर अन्य व्यक्ति द्वारा काश्त की जा रही है। अतः आवंटन निरस्त फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। तलबीदा आवंटन पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार तत्कालीन भू आवंटन कमेटी एवं उपखण्ड अधिकारी, बडीसादडी द्वारा विपक्षी को ग्राम पिनोदड़ा की बिलानाम आराजी संख्या 172/1 रकबा 14 बीघा 09 बिस्वा बिलानाम भूमि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

में से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि का कृषि प्रयोनार्थ आवंटन गैर खातेदारी हक से किया गया जो जरिये नामान्तरण संख्या 194 दिनांक 02.12.2000 से श्री काशीगिरी पिता भगवानगिरी गुसाई के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज किया जिसके नवीन आराजी संख्या 336 रकबा 0.31 हैक्टेयर बने जो कि मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है। उक्त आराजी नम्बर 336 रकबा 0.31 हैक्टेयर भूमि विपक्षी के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। लेकिन आवंटन के पश्चात् से उक्त भूमि पर विपक्षी का कभी कब्जा एवं काश्त नहीं रहा है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध पटवार हल्का पुनावली के मौका पर्चा दिनांक 23.02.18 से होती है।

पटवार हल्का पुनावली ने अपने मौका पर्चा दिनांक 23.02.2018 में उक्त आवंटित भूमि पर विपक्षी का कब्जा एवं काश्त नहीं होकर मौके पर अन्य व्यक्ति का कब्जा होकर अन्य व्यक्ति द्वारा काश्त करना बताया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि विपक्षी का उसको गैर खातेदारी हक से आवंटित भूमि पर कभी कब्जा एवं काश्त नहीं रहा है तथा वर्तमान में भी उक्त भूमि पर विपक्षी का कब्जा-काश्त नहीं है तथा मौके पर अन्य व्यक्ति का कब्जा होकर उसके द्वारा काश्त की जा रही है। विपक्षी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है। निष्कर्षतः भूमिधारी तहसीलदार, बडीसादडी, द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं विपक्षी को आराजी नम्बर 172/1 रकबा 14 बीघा 09 बिस्वा में से 1 बीघा 10 बिस्वा (जिसके नवीन आराजी संख्या 336 रकबा 0.31 हैक्टेयर) का किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(प्रभा गौतम)

Web Copy - Not Official